संख्या- 9/2026/ 91/सैंतालीस-का-5-2026

प्रेषक,

एम० देवराज,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ०प्र०।

कार्मिक अनुभाग-5 लखनऊ : 06.04.2026

विषय:- मृतक आश्रित सेवायोजन, मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदया / महोदय,

आप अवगत ही है कि सरकारी सेवको के सेवा विवरण के सुव्यवस्थित रख-रखाव तथा पारदर्शी व त्वरित संचालन हेतु प्रदेश में मानव सम्पदा पोर्टल क्रियाशील है। इस पोर्टल में कर्मचारियों से सम्बंधित विभिन्न प्रकार की सेवाए आनलाइन संचालित की जा रही है। उक्त के क्रम में "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित)" के प्राविधानों के अन्तर्गत सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन की इस प्रक्रिया को सुगम एवं पारदर्शी बनाने तथा समस्त कार्यवाही समयबद्धरूप से पूर्ण करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा इस हेतु मानव सम्पदा पोर्टल के अन्तर्गत 'मृतक आश्रित सेवायोजन मॉड्यूल' एन०आई०सी० द्वारा विकसित किया गया है।

2- मानव सम्पदा पोर्टल पर उत्तर प्रदेश (सरकारी सेवक) मृतक आश्रित सेवायोजन प्रणाली को शुरू करने हेतु प्रत्येक संबंधित कार्यालय / निदेशालय अपने सभी आफिस एडमिन आईडी द्वारा मृतक आश्रित नियुक्ति के कार्य हेतु फर्स्ट लेवल, अप्रूविंग और आर्डर अथारिटी (यदि संबधित कार्यालय में नियुक्ति प्राधिकारी है) नामित कराएँगे। यह कार्य ऑफिस एडमिन आईडी के लॉग इन पर आफिस एडमिनिस्ट्रेशन मीनू के अंतर्गत सर्विस/एक्टिविटी वर्क एलोकेशन आप्शन के द्वारा किया जायेगा। इस प्रणाली द्वारा मृतक आश्रित नियुक्ति के आवेदन, मृतक के अंतिम रिपोर्टिंग कार्यालय में भेजे जायेंगे, अतः यह कार्य प्रत्येक संबंधित कार्यालय / निदेशालय के सभी ऑफिस एडमिन के द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाये। जिस आफिस एडमिन द्वारा यह कार्य सर्विस/एक्टिविटी वर्क एलोकेशन का कार्य नहीं किया जायेगा, उस कार्यालय के आश्रित आवेदन नहीं कर सकेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- मृतक आश्रित नियुक्ति हेतु आवदेन प्रस्तुत करने के संबंध में निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की गयी है:-

1. आवेदक, मानव सम्पदा की वेबसाइट www.ehrms.upsdc.gov.in पर लॉगिन कर उसके Home Page पर DDCA System लिंक पर क्लिक करेगा। क्लिक करने पर मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति का पेज खुलेगा, जिसमे विभिन्न Tabs प्रदर्शित होंगे जैसे संबंधित दिशा-निर्देश, शासनादेश, प्रार्थी पंजीकरण, योग्यता विवरण, डॉक्युमेंट विवरण, आवेदन प्रिंट करे तथा आवेदन की स्थिति।
2. **प्रार्थी पंजीकरण-**
   (I) आवेदक द्वारा प्रार्थी पंजीकरण ऑप्शन पर क्लिक कर वांछित सूचनाएं भरते हुए Submit करने पर आवेदक के मोबाइल पर प्राप्त ओ०टी०पी० के माध्यम से Screen पर मृतक के नाम को Verify कर सकेगा।
   (II) Screen पर प्रदर्शित मृतक के आश्रितों की सूची / फैमिली डिटेल में आवेदक अपने नाम पर टिक कर सकता है। यदि उक्त सूची में आवेदक का नाम नहीं है तो नाम, जन्म तिथि व मृतक से संबंध लिख सकता है।
   (III) आवेदक द्वारा ओ०टी०पी० वैरिफिकेशन के उपरान्त प्रदर्शित फार्म को भरते हुए Submit बटन पर क्लिक कर फार्म Submit करना होगा।
   (IV) आवेदक आवेदन प्रक्रिया के अनुसार आवेदन के सभी चरण पूरा कर आवेदन लॉक करेगा, अनलॉक आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

   इस प्रकार आवेदक के पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होते ही पंजीकरण संख्या स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।

3. **शैक्षणिक विवरण भरना-**
   (I) पंजीकरण पूर्ण होने के पश्चात आवेदक पोर्टल के मेनू से योग्यता विवरण आप्शन / चरण पर क्लिक कर अपना शैक्षिक विवरण भरते हुए सबमिट कर सकेगा।
   (II) शैक्षणिक विवरण सावधानी पूर्वक भर कर आवेदक अपना आवेदन लॉक करेगा। लॉक करने के बाद आवेदन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

4. **डॉक्युमेंट विवरण भरना-**
   (I) शैक्षणिक विवरण भरने के पश्चात आवेदक को पोर्टल के मेनू से डॉक्युमेंट विवरण आप्शन / चरण में जाना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(II) इस चरण में आवेदक द्वारा मृतक कर्मचारी का विभाग, EHRMS ID तथा आवेदक का मोबाइल न० दर्ज करना होगा। दर्ज किये गये मोबाइल न० पर प्राप्त OTP को भरकर सत्यापन पूर्ण करना होगा।

(III) सत्यापन पूर्ण करने के पश्चात डॉक्युमेंट संबंधित फार्म प्रदर्शित होगा, फार्म भरने के पश्चात सबमिट करते हुए लॉक करना होगा। लॉक करने के बाद इसे न बदलाव किया जा सकेगा न ही हटाया जा सकेगा।

(IV) लॉक करने के बाद आवेदन कंप्लीट हो जाएगा और इसे प्रथम स्तरीय अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा।

4- मानव सम्पदा पोर्टल पर आवेदक द्वारा मृतक आश्रित नियुक्ति हेतु आवदेन प्रस्तुत करने के बाद संबंधित अधिकारी के ehrms Id पर उक्त आवेदन लम्बित प्रदर्शित होगा, जिसें संबंधित अधिकारी द्वारा अपने ehrms Id से लॉगिन करके लम्बित आवेदन देखेगा और लम्बित आवेदन पर (कॉल टू रिपोर्ट, वेरिफाई, फारवर्ड, रिजेक्ट, ऑफर बनाए इत्यादि जैसे) उचित एक्शन लेगा।

प्रथम स्तरीय अधिकारी द्वारा डॉक्यूमेन्ट वेरिफाई किया जाएगा और अगर कोई गलती पाई जाती है तो अधिकारी Query Raise करेगा तथा डॉक्यूमेन्ट में गलती को सुधारेगा। गलती को सुधारने हेतु प्रथम स्तर का अधिकरी edit बटन को क्लिक कर डॉक्यूमेन्ट में गलती को सुधारते हुए डॉक्यूमेन्ट रिलीज कर पुनः वेरिफाई करेगा। डॉक्यूमेन्ट पुनः जांच करके अनुमोदन प्राधिकारी को भेजेगा। आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी प्रस्ताव बनाएगा और आवेदन की प्रति भेजेगा।

5- आवेदक द्वारा मृतक आश्रित नियुक्ति हेतु आवदेन प्रस्तुत करने के बाद मानव सम्पदा की वेबसाइट www.ehrms.upsdc.gov.in पर लॉगिन कर समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति देख सकेगा। इस हेतु आवेदक मृतक का विभाग, आवेदन संख्या, आवेदक का मो०नं० दर्ज करते हुए मोबाइल नं० पर प्राप्त ओ०टी०पी० के माध्यम से पोर्टल पर आवेदन की स्थिति देख सकता है और अगर नियुक्ति आदेश जारी किया गया है तो आवेदक 'View Detail' पर क्लिक करके नियुक्ति आदेश का प्रिंट ले सकता है। इसी प्रकार आवेदक मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति पेज पर प्रदर्शित 'आवेदन प्रिंट करें' ऑप्शन पर जाकर ओ०टी०पी० के माध्यम से नियुक्ति हेतु किये गये आवेदन का प्रिंट ले सकता है।

6- आवेदक के नियुक्ति आदेश निर्गत होने के उपरान्त उक्त आदेश की प्रति आवेदक को उसके ई-मेल / Whatsapp पर भेजा जा सकेगा।

7- अतः मानव सम्पदा पोर्टल के 'मृतक आश्रित सेवायोजन मॉड्यूल' का सचित्र विवरण संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के सेवायोजन की वर्तमान में विचाराधीन समस्त कार्यवाही दिनांक 31 मई 2026 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाय एवं उक्त तिथि के बाद मृतक आश्रित सेवायोजन के समस्त आवेदनों के निस्तारण की कार्यवाही उपरोक्तानुसार मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही आनलाइन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

<u>संलग्नक : यथोक्त।</u>

भवदीय

(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-</u>

1. विशेष कार्याधिकारी, मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधानसभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. प्रभारी, आई०टी० प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश सचिवालय को इस आशय से प्रेषित कि ई-ऑफिस डैशबोर्ड पर प्रदर्शित करना चाहें।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
7. श्री ए०के० रावत, निदेशक (आई०टी०), एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
8. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in